उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-74/2017/1017/छप्पन-2017-29/1999
लखनऊ : दिनांक : 19 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-383/छप्पन-2003-29/99, दिनांक 9 अप्रैल, 2003 द्वारा वर्ष 2003 में प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार की हवाई पट्टियों पर आउट डोर शूटिंग के प्रयोजन के लिए उपयोग करने की दशा में रूपये 200/- प्रति 'लैण्डिंग' तथा 'शूटिंग' के लिए रूपये 1,000/- प्रतिदिन की दर निर्धारित की गयी थी। इसके अतिरिक्त हवाई पट्टी पर विद्युत एवं जल का उपयोग करने पर उसका भुगतान वास्तविक व्यय के आधार पर अलग से करना भी निर्धारित किया गया था। इसी बीच उड्डयन गतिविधियों के प्रसार के दृष्टिगत शासन द्वारा यह अनुभव किया गया कि उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय हवाई पट्टियों का राजकीय प्रयोजन हेतु उपयोग करने के अतिरिक्त प्रदेश में विद्यमान राजकीय हवाई पट्टियों का उपयोग अवस्थापना सुविधा के रूप में अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अनुमन्य कर दिए जाने से प्रदेश में उड्डयन गतिविधियों के प्रसार के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण होगा। इस उद्देश्य को समक्ष रख कर फिल्म निर्माण के प्रयोजन के लिए राजकीय हवाई पट्टियों के उपयोग की अनुमन्यता पूर्व निर्धारित प्रक्रियान्तर्गत जारी रखते हुए कार्यालय आदेश संख्या-162/छप्पन-2008-29/99, दिनांक 25 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नागरिक उड्डयन विभाग के स्वामित्व वाली राजकीय हवाई पट्टियों को निजी संस्थाओं के विमानों के उड़ान/अवतरण हेतु निम्नवत् शर्तों व प्रतिबन्धों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर अनुमन्य करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

(1) प्रदेश में राजकीय हवाई पट्टियों पर निजी संस्थाओं आदि के विमानों हेतु प्रति लैण्डिंग प्रति रूपये 500/- तथा पार्किंग चार्जेज के रूप में लैण्डिंग के प्रथम-2 घंटे के पश्चात् रूपये 200/- प्रतिदिन की दर से पार्किंग प्रभार निर्धारित किया गया है। यह प्रभार उन संस्थाओं को नहीं देना होगा जिन्हें उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उस हवाई पट्टी का उपयोग करने की अनुमति दी गयी है।

(2) क्रास कन्ट्री फ्लाइट करने पर यदि वो संस्था किसी ऐसी हवाई पट्टी का उपयोग करती है जिस पर उसका उड़ान प्रशिक्षण संस्थान नहीं है तो उस दशा में लिया जाने वाला प्रभार 50 प्रतिशत की दर से लिया जाएगा अर्थात् प्रशिक्षण गतिविधियों के क्रास कन्ट्री फ्लाइंग के निमित्त ऐसी किसी हवाई पट्टी का उपयोग करने, जिस पर सम्बन्धित का उड़ान प्रशिक्षण संस्थान है, संस्था के लिए सम्बन्धित संस्था को रूपये 250/- प्रति लैण्डिंग तथा रूपये 100/- प्रतिदिन की दर से पार्किंग प्रभार देना होगा।

(3) विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ानें तथा अन्य आकस्मिकता की स्थिति में हवाई पट्टी के उपयोग के लिए दी गयी अनुमति राज्य सरकार द्वारा निरस्त की जा सकती है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उत्तर प्रदेश में स्थित नागरिक उड्डयन विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न हवाई पट्टियों का निजी संस्थाओं आदि के विमानों द्वारा प्रयोग की अनुज्ञा दिए जाने की स्थिति में उनसे लिए जाने वाले लैण्डिंग/पार्किंग शुल्क के निर्धारण के निमित्त प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2016 के कार्यवृत्त में उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 15.04.2008 में उल्लिखित लैण्डिंग चार्जेज एवं पार्किंग चार्जेज की दरों को पुर्ननिर्धारित करने की संस्तुति की गई है। अत: श्री राज्यपाल महोदय सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नागरिक उड्डयन विभाग के स्वामित्व वाली राजकीय हवाई पट्टियों को निजी संस्थाओं के विमानों के उड़ान/अवतरण हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करने पर अनुमन्य किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रदेश में राजकीय हवाई पट्टियों पर निजी संस्थाओं आदि के विमानों हेतु प्रति लैण्डिंग प्रति रूपये 5000/- तथा पार्किंग चार्जेज के रूप में लैण्डिंग के प्रथम-2 घंटे के पश्चात् रूपये 2000/- प्रतिदिन की दर से पार्किंग प्रभार निर्धारित किया गया है। यह प्रभार उन संस्थाओं को नहीं देना होगा जिन्हें उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उस हवाई पट्टी का उपयोग करने की अनुमति दी गयी है।

(2) क्रास कन्ट्री फ्लाइट करने पर यदि वो संस्था किसी ऐसी हवाई पट्टी का उपयोग करती है जिस पर उसका उड़ान प्रशिक्षण संस्थान नहीं है तो उस दशा में लिया जाने वाला प्रभार 50 प्रतिशत की दर से लिया जाएगा अर्थात् प्रशिक्षण गतिविधियों के क्रास कन्ट्री फ्लाइंग के निमित्त ऐसी किसी हवाई पट्टी का उपयोग करने, जिस पर सम्बन्धित का उड़ान प्रशिक्षण संस्थान है, संस्था के लिए सम्बन्धित संस्था को रूपये 2500/- प्रति लैण्डिंग तथा रूपये 1000/- प्रतिदिन की दर से पार्किंग प्रभार देना होगा।

(3) विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ानें तथा अन्य आकस्मिकता की स्थिति में हवाई पट्टी के उपयोग के लिए दी गयी अनुमति राज्य सरकार द्वारा निरस्त की जा सकती है।

(4) शासनादेश संख्या-162/छप्पन-2008-29/99, दिनांक 15 अप्रैल, 2008 में उल्लिखित दरें एवं शर्तें उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाए।

(5) यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-7-626/दस-2017, दिनांक 19 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-74/2017/1017(1)/छप्पन-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- सचिव, सूचना, उत्तर प्रदेश शासन।

5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या-392/ना0उ0/2017(पी0), दिनांक 26 जुलाई, 2017 के सन्दर्भ में।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।